वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 12.08.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, जागरूक एक्सप्रेस, जनवार्ता, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 12.08.2025

वीडीए ने दो अवैध प्लॉटिंग कराई ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए की ओर से सोमवार को दो अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि सिकरौल वार्ड में रुद्रेश पांडेय ने ऐढ़े में बिना लेआउट स्वीकृत 1.5 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की थी। जिसे ध्वस्त कराया गया। अरविंद पांडेय की ओर से ऐढ़े में बिना लेआउट स्वीकृत कराए 1.5 बीघा में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसे ध्वस्त कराया गया। ब्यूरो

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 12.08.2025

वीडीए का गरजा बुलडोजर अवैध प्लाटिंग किया ध्वस्त

जिला प्रतिनिधि

वाराणसी। विकास प्राधिकरण ने सिकरौल वार्ड के एढ़े में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कालोनाइजर गायब थे। प्लाट खरीदने वाले कुछ लोग मौके पर पहुंचे लेकिन वीडीए ने स्पष्ट किया कि प्लाटिंग बिना लेआउट पास कराए हो रही है। जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्र ने बताया कि एढ़े में रुद्रेश पांडेय और अरविंद पांडेय 1.5 - 1.5 बीघे में अवैध तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त करके प्लाट बेच रहे थे। पूर्व में दोनों को नोटिस भी दी गई थी लेकिन अवैध प्लाटिंग का खेल जारी था। लेआउट स्वीकृत कराए बिना हो रही प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए वीडीए का प्रवर्तन दल एढ़े पहुंचा। पुलिस फोर्स भी बुलाई गई। फोर्स की मौजूदगी में वीडीए के बुलडोजर ने दोनों स्थानों पर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया।

जनवार्ता–दि0 12.08.2025

अवैध प्लाटिंग पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई

वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देश पर सोमवार को जोन-1, वार्ड-सिकरौल क्षेत्र में दो अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। जिसमें मौजा-एढ़े, रिंग रोड के उत्तर (त्रिमूर्ति टावर के सामने, पूरब) स्थित 1.5-1.5 बीघा भूमि पर रुद्रेश पाण्डेय और अरविंद पाण्डेय द्वारा बिना लेआउट स्वीकृति अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा के तहत प्रवर्तन दल ने दोनों स्थलों पर निर्माण ध्वस्त किया। इस दौरान जोनल अधिकारी शिवा मिश्रा, अवर अभियंता रोहित कुमार, सुपरवाइजर टीम और पुलिस बल मौजूद रहा। उपाध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

न्यायाधीश–दि0 12.08.2025

वाविप्रा द्वारा दो अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में 11.08.2025 को जोन-1,वार्ड-सिकरौल के अंतर्गत दो अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-सिकरौल में रुद्रेश पाण्डेय द्वारा मौजा-एढ़े, रिंग रोड के उत्तर (त्रिमूर्ति टावर के सामने पूरब) जिला- वाराणसी में बिना लेआउट स्वीकृत कराए 1.5 बीघा में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। 30 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी शिवा जी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।वार्ड-सिकरौल में अरविंद पाण्डेय द्वारा मौजा-एढ़े, रिंग रोड के उत्तर (त्रिमूर्ति टावर के सामने पूरब) जिला- वाराणसी में बिना लेआउट स्वीकृत कराए 1.5 बीघा में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। 30 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी शिवा जी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।